

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

कार्यालय आदेश

खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय से प्राप्त पत्र पत्रांक-1181/एम0, दिनांक-27.08.2018 के आलोक में मुख्यालय से जाँच दल भेजकर लखीसराय जिला के बालू अनुज्ञप्तिधारियों के भंडारण स्थल की जाँच करायी गयी। जाँच दल के प्रतिवेदन के आलोक में लखीसराय जिला के सभी अनुज्ञप्तिधारियों के भंडारण स्थल के नौतिक सत्यापन एवं अन्य संबंधित बिन्दुओं की जाँच के लिए निम्नलिखित जाँच दलों को प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

जाँच दल संख्या	गठित जाँच दल के प्रभारी पदाधिकारियों एवं सदस्य	पदनाम/जिला	मोबाईल संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	श्री मनोज अम्बष्ठ श्री इन्द्रदेव चौधरी	खनिज विकास पदाधिकारी, लखीनराय प्रवर्तन पदाधिकारी, लखीसराय	9430832694 7050312311
2.	श्री शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी श्री रमेश प्रसाद सिंह	प्रवर्तन पदाधिकारी (मु0), पटना प्रवर्तन पदाधिकारी (म0), पटना	9523171791 9471560301
3.	श्री जमिताभ श्री तज नारायण शर्मा	खान निरीक्षक, बाँका प्रवर्तन पदाधिकारी, बाँका	9431851514 9934228911
4.	श्री गोपाल साह श्री कृष्ण प्रकाश	खनिज विकास पदाधिकारी, जमुई प्रवर्तन पदाधिकारी, जमुई	9431678029 9661688930
5.	श्री अवधेश कुमार श्री रमता प्रसाद सिंह	खान निरीक्षक, वैशाली प्रवर्तन पदाधिकारी, वैशाली	8407834469 9939412142
6.	श्री जय प्रकाश सिंह श्री राजीव भारती	खान निरीक्षक, छपरा खनिज विकास पदाधिकारी, छपरा	9835645696 9663416723

2. सभी जाँच दल श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (मु.) के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे तथा श्री कुमार मुख्यालय से सारे जाँच प्रक्रिया की निगरानी करेंगे एवं विभिन्न जाँच दलों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे।

3. सभी जाँच दल उनके जिला में उपलब्ध वाहन का प्रयोग करेंगे एवं उनके जिला में उपलब्ध पुलिस बल साथ में ले जायेंगे।

4. खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय समाहर्ता, पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कर जाँच दल को समुचित शस्त्र बल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।

5. जाँच दल को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में पूर्ण जाँच कर जाँच प्रतिवेदन खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय के माध्यम से तीन दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-

असंगबा चुबा आओ
विशेष सचिव-सह-निदेशक

